

**छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर
जिला-रायपुर**

Email ID :-cg-gad-6@cg.gov.in

File No.: GENCOR-35010/20/2025-GAD-6 नवा रायपुर, दिनांक 21/01/2026

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय- iGOT कर्मयोगी प्लेटफार्म पर प्रशिक्षण लेने बाबत।

संदर्भ-इस विभाग का परिपत्र क्रमांक GENCOR-35010/20/2025-GAD-6 दिनांक 03.01.2026

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्र का कृपया अवलोकन करे।

2/ संदर्भित परिपत्र की कंडिका-14 “विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य एवं समय-सीमा” में निर्देश दिया गया है कि, प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के माह अप्रैल का वेतन आहरण के लिये 3 कोर्स का होना अनिवार्य किया जाये।

3/ iGOT कर्मयोगी प्लेटफार्म पर प्रशिक्षण लेने के पूर्व iGOT कर्मयोगी प्लेटफार्म के पोर्टल पर अधिकारी/कर्मचारियों को पंजीयन किया जाना है। वर्तमान में कई विभाग तथा उसके अधीनस्थ कार्यालय/निगम/मंडल/आयोग में पदस्थ कई अधिकारी/कर्मचारियों का शासकीय मेल आई डी सक्रिय नहीं होने से ओटीपी ईमेल में प्राप्त नहीं हो रहा है। जिसके कारण iGOT कर्मयोगी प्लेटफार्म पर पंजीयन नहीं हो पा रहा है। अधिकारी/कर्मचारियों के मेल आई डी को सक्रिय करने की प्रक्रिया में समय लगने की सम्भावना प्रतीत हो रहा है जिसके कारण अधिकारी/कर्मचारियों का निर्धारित समय-सीमा में प्रशिक्षण लेना संभव नहीं है। अतः प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारियों के iGOT कर्मयोगी प्लेटफार्म 03 कोर्स करने पर माह अप्रैल का वेतन आहरण के संबंध में जारी संदर्भित निर्देश को आगामी आदेश तक शिथिल किया जाता है।

4/ निर्देश के शिथिलिकरण के पाश्चात् भी प्रत्येक विभाग का यह दायित्व होगा कि iGOT कर्मयोगी प्लेटफार्म पर अधिकारी/कर्मचारियों को उनकी क्षमता निर्माण, कौशल विकास तथा दक्षता को विकसित करने के लिये प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहित किया जावे।

(अविनाश चम्पावत)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग